



पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
Power Grid Corporation of India Limited  
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005  
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007  
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



के.आ./के.आ./सू.अ/2018/112

दिनांक : 1 जून, 2018

श्री कंचन कुमार,  
ग्राम: अशोकनगर,  
पोस्ट: नौलखी, भाया: मुरलीगंज,  
जिला: पूर्णिया,  
बिहार - 852 122

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 23.05.2018 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा आपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी मांगी थी

आपके द्वारा मांगी गई जानकारी **अनुबंध क** पर संलग्न है ।

यदि आप लोक सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप जवाब मिलने के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी का पता निम्नवत है :

श्री संजीव सिंह,  
कार्यपालक निदेशक (सीएमजी) एवं अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय कार्यालय  
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
"सौदामिनी, प्लॉट नं. 2, सैक्टर - 29 , गुडगांव - 122001, हरियाणा  
Email ID: [sanjeev@powergridindia.com](mailto:sanjeev@powergridindia.com)  
Phone No. 0124-2571962

धन्यवाद ।

भवदीय,

*अजय होलानी*

(अजय होलानी)

अपर महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: [cpio.cc@powergrid.co.in](mailto:cpio.cc@powergrid.co.in)

श्री कंचन कुमार द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किये  
आवेदन दिनांक 23.05.2018 के संबंध में

क्रम संख्या	आर. टी. आई प्रश्न	उपयुक्त जवाब
1	मुख्य सतर्कता अधिकारी, पावरग्रिड जांच की समयावधि को कितना बढ़ा सकती है	यह संबंधित केस पर निर्भर करता है।
2	मेरे द्वारा दिनांक 16-06-2016 को भेजा गया शिकायत का सिर्फ कागज पर जांच चल रही है, या कार्य स्थल पर भी हो रही है	नियमानुसार जांच चल रही है
3	उपरोक्त शिकायत से संबंधित जन प्रतिनिधियों (मुखिया/सरपंच) से भी पुछताछ हुई है या नहीं।	चुकि जांच जारी है अतः सूचना अधिनियम 8 (1) (h) के तहत इस सूचना को साझा नहीं किया जा सकता है।
4	अगर जांच समाप्त हो गई हो तो संबंधित रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं	चुकि जांच जारी है अतः सूचना अधिनियम 8 (1) (h) के तहत इस सूचना को साझा नहीं किया जा सकता है।